न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 11/ 2016 एवं 12/2016 जिला दौसा

1. रामकिशोर
2. श्रीराम
3. नाथूलाल
4. रामनाथ
5. कानाराम

पुत्रान लालूराम, जाति मीना, निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

6. मु. राजन्ती उर्फ बल्लों बेवा रामविलास
7. दीपक

पुत्रान रामविलास नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता मु. राजन्ती उर्फ बल्लों बेवा रामविलास, निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन लाल
2. मोती लाल

पुत्रान कल्याण, जाति मीना, निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

3. हरबाई पत्नि श्री कल्याण
4. चन्द्रशेखर पुत्र महादेव
5. श्रीमती कमली देवी पत्नि श्री रामभजन
6. श्रीमती गन्दौडी देवी पत्नि श्री सांवलराम

निवासीगण निर्झरना, तिहसील लालसोट, जिला दौसा ।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपील विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 2.2.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 185 ग्राम निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा तस्दीक नायब तहसीलदार लालसोट दिनांक 6.4.1977

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री घीसा लाल कुमावत

अपील संख्या 12/2016 जिला दौसा

1. रामकिशोर
2. श्रीराम
3. नाथूलाल
4. रामनाथ
5. कानाराम

पुत्रान लालूराम, जाति मीना, निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

6. मु. राजन्ती उर्फ बल्लों बेवा रामविलास
7. दीपक

पुत्रान रामविलास नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता मु. राजन्ती उर्फ बल्लों बेवा रामविलास, निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन लाल
2. मोती लाल

पुत्रान कल्याण, जाति मीना, निवासी निर्झरना तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

3. हरबाई पत्नि श्री कल्याण
4. चन्द्रशेखर पुत्र महादेव
5. श्रीमती कमली देवी पत्नि श्री रामभजन
6. श्रीमती गन्दौडी देवी पत्नि श्री सांवलराम

निवासीगण निर्झरना, निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपील विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 2.2.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 229 ग्रम निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा तस्दीक नायब तहसीलदार लालसोट दिनांक 15.11.1977

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री घीसा लाल कुमावत

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 26.9.2018

यह द्वितीय दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा नामांतरकरण संख्या 185 ग्रम निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा तस्दीक नायब तहसीलदार लालसोट दिनांक 6.4.1977 एवं नामांतरकरण संख्या 229 ग्रम निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा तस्दीक नायब तहसीलदार लालसोट दिनांक 15.11.1977 की अपील संख्या 32/2013 एवं 33/2013 में पारित निर्णय दिनांक 2.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक भूमि का नामांतरकरण संख्या 185 नियमन आदेश दिनांक 2.7.73 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के

पिता, एवं 3 के पति कल्याण पुत्र मंगला मीना के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसे नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 6.4.1977 को तस्दीक किया गया तथा इसी ग्रम स्थित आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक का नामांतरकरण संख्या 229 नियमन आवंटन कमेटी दिनांक 27.10.77 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता, एवं 3 के पति कल्याण पुत्र मंगला मीना के नाम भरा गया जिसे नायब तहसीलदार लालसाट ने दिनांक 15.11.77 को तस्दीक किया है ।

उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट रामकिशोर वगैहरा द्वारा पृथक पृथक प्रथम अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.2.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण विधिवतरूप से आवंटन आदेश की पालना में खोले जाने से तथा अपीलान्ट्स द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने का कथन बहस के दौरान किये जाने पर, अगर उनका कब्जा था तो उन्हें कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी । अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद बाहर लगभग 37 वर्ष बाद पेश की है । अगर अपीलान्ट को उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण से आपत्ति थी तो अपील अन्दर मियाद पेश करनी चाहिये थी । ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हुये दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 185 दिनांक 6.4.77 एवं 229 दिनांक 15.11.77 ग्रम निर्झरना, तहसील लालसोट बहाल रखे गये हैं ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के दोनों प्रकरणों में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2016 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2016 तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 185 दिनांक 6.4.77 एवं 229 दिनांक 15.11.77 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । दोनों अपीलें, अपील संख्या 11/16 एवं 12/16 पर दर्ज की गई है ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित सिवायचक आराजी पर अपीलान्ट्स का पीढी दर पीढी बजमाने बुजुर्गान का कब्जा चला आ रहा है । प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच नहीं की तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट का पूर्वज कल्याण वल्द मंगला मीणा अवैध तौर पर बाहरी व्यक्ति होते हुये तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि होते हुये राजस्व एजेन्सी से साज कर गुपचुप में गलत तरीके से भूमि आवंटित करवाली । आवंटन आदेश को अपीलान्ट्स द्वारा चुनौती दे रखी है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुये नामांतरकरण की अपीलों को मात्र मियाद बाहर मानते हुये खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट्स ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा था, जो विचाराधीन है तथा उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की गई है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य दावों के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिये था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई टिप्पणी किये बिना अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण अंकित किया था जिसके जवाब में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया ।

प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेशों द्वारा अपीलान्ट की अपीलें मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावें ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा कल्याण पुत्र मंगला के नाम वर्ष 1973 एवं 1977 में किया गया था तथा आवंटन कमेटी के आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण कल्याण पुत्र मंगला के नाम नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा वर्ष 1977 में ही तस्दीक कर दिये थे । गैर खातेदार कल्याण पुत्र मंगला के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण उसके वारिसान के नाम तस्दीक होकर विवादित भूमि का बेचान भी हो चुका है । उनका कहना था कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को परेशान करने की नियत से प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक होने के 37 साल बाद अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसे नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । उनका कहना था कि आवंटन कमेटी के आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुये हैं , उन्हें विधिक रूप से तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक आवंटन कमेटी के आदेश सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते । उनका कहना था कि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अपीलान्ट्स के यदि विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावों में ही तय होगें । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन करते हुये अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नांमातरकरण विधिवतरूप से आवंटन आदेश की पालना में खोले जाने तथा अपीलान्ट्स को कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत देते हुये अपीले 37 वर्ष बाद पेश किये जाने से चलने योग्य नहीं होना मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्रकरण के गुणावगुण पर पारित किया हुआ विधिसम्यक आदेश है । अतः प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित सिवायचक भूमि रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वज कल्याण पुत्र मंगला मीना को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित होने पर आवंटन आदेश के अनुसार उसके नाम तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरणों के संबंध में है । अपीलान्ट्स का विवादि भूमि पर बुजुर्गान के समय से कब्जा होने के आधार पर अपीलान्ट्स प्रश्नगत नामांतरकरणों एवं अपीलाधीन आदेशों को निरस्त कराना चाहते हैं । आवंटन कमेटी द्वारा किये आवंटन आदेश की अनुपालना में नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण कल्याण पुत्र मंगला के नाम तस्दीक किये हैं जिसके खिलाफ अपीलान्ट् की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.2.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण विधिवतरूप से आवंटन आदेश की पालना में खोले जाने से तथा अपीलान्ट्स द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने का कथन बहस के दौरान किये जाने पर, अगर उनका कब्जा था तो उन्हें कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी । अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद बाहर लगभग 37 वर्ष बाद पेश की है । अगर

अपील। ट को उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण से आपत्ति थी तो अपील अन्दर मियाद पेश करनी चाहिये थी । ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हुये दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 185 दिनांक 6.4.77 एवं 229 दिनांक 15.11.77 ग्राम निर्झरना, तहसील लालसोट बहाल रखे गये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं प्रश्नगत दोनों नामांतरकरण आवंटन आदेश की अनुपालना में नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये हैं जिनके खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करीबन 37 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता तथा जिस आवंटन आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुये हैं वह जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते तब तक प्रश्नगत नामांतरकरण विधिक रूप से निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा । अपीलान्ट्स के यदि विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न होते हैं तो वे न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष विचाराधीन उनवानी वाद रामकिशोर वगैहरा बनाम मोहन लाल वगैहरा एवं आवंटन आदेश के खिलाफ अपीलान्ट के पृथक पृथक दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 उनवानी रामकिशोर बनाम मोहन लाल न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के पृथक पृथक निर्णय दिनांक 24.1.2018 से खारिज करते हुये कल्याण के पक्ष मे किया गया आवंटन/नियमितिकरण क्रमशः दिनांक 2.7.73 एवं दिनांक 27.10.77 बहाल रखे जाने के खिलाफ अपीलान्ट रामकिशोर की न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मुख्यालय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन अपील में ही तय होगें । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलें विराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजन्दाज किया जाना उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने प्रश्नगत दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट्स की पृथक पृथक अपीलों मे पारित पृथक पृथक अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2016 से अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर लगभग 37 वर्ष बाद पेश किये जाने से खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है एवं दोनों अपील अपीलान्ट्स में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 26.9.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर